ायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

ीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 11/प्रा0पत्र/2019

1. बाबूलाल आयु वयस्क आ0 रामकिशन जाति मीणा निवासी महाटो का झोपडा दुर्गापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मनराज आयु वयस्क आ0 रामकिशन जाति मीणा निवासी महाटो का झोपडा दुर्गापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कान्ता आयु वयस्क पुत्री रामकिशन जाति मीणा निवासी महाटो का झोपडा दुर्गापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. संतोष आयु वयस्क पुत्री रामकिशन जाति मीणा निवासी महाटो का झोपडा दुर्गापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. गोप्या बाई आयु वयस्क बैवा रामकिशन जाति मीणा निवासी महाटो का झोपडा दुर्गापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26/03/2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 4195/1332 रकबा 10 बीघा, 4196/1332 रकबा 7 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा वाके ग्राम दुर्गापुरा (गोठडा) पटवार मंडल दुर्गापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही है। रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नही होने से प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु मौके पर बने रास्ते के अडोसी–पडोसी रास्ते पर कब्जा करने व रास्ते के स्वरूप को बिगाडने की कुचेष्ठा करते है। प्रार्थीगण की भूमि पर जाने का रास्ता गोठडा से दबलाना जाने वाली पक्की सडक से पूर्वी दिशा में भवानीपुरा की सीमा के सहारे खसरा संख्या 1332 में होकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा सख्या 4196/1332 तक 15 फिट चौडा रास्ता बना हुआ है। उक्त रास्ता मौके पर विधमान है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही होने से गोठडा से भवानीपुरा–दबलाना जाने वाली पक्की सडक से खसरा संख्या 1332 में प्रार्थीगण की भूमि तक सिवायचक भूमि पर बने रास्ते को

असामाजिक तत्व खसरा संख्या 1332 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते में व्यवधान पैदा करते है जिससे प्रार्थीगण के समक्ष विधमान रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही बचा है। खसरा संख्या 1332 में गोठडा से भवानीपुरा की पक्की सडक से प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 4196/1332 तक 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना व राजस्व नक्शे में रास्ते की तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। खसरा संख्या 1332 में घोषित किये जाने वाले रास्ते की राशि नियमानुसार प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता घोषित कर दिये जाने से प्राथीगण को अपनी भूमि पर आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नही रहेगी और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किये जा रहे अतिक्रमण पर भी रोक होगी। रास्ते की घोषणा का क्षेत्राधिकार लेण्ड रेवेन्यू आफिसर की हैसियत से श्रीमान को प्राप्त है व रास्ते की घोषणा चाही गई भूमि ग्राम दुर्गापुरा में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोठडा से दबलाना जाने वाली सडक से भवानीपुरा की सीमा पर से खसरा संख्या 1332 में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4196/1332 तक 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते दर्ज किया जावे एवं खसरा संख्या 1332 के लठा नक्शा में रास्ते की तरमीम की जावें। अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पटवारी दुर्गापुरा द्वारा जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी श्री बाबूलाल पि0 रामकिशन मीणा निवासी दुर्गापुरा को अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 4195/1332 व 4196/1332 ग्राम दुर्गापुरा पर आने जाने हेतु ग्राम गोठडा से दबलाना जाने वाले रास्ते से भवानीपुरा की सीमा पर से भूमि खसरा संख्या 1332 में से 15 फिट चौडा रास्ता अमल हेतु प्रार्थना पत्र (वाद) प्रस्तुत किया है। अतः उक्त प्रकरण जांच रिपोर्ट हेतु मौके पर पहुंच कर खसरा संख्या 1332 रकबा 31.01 सिवायचक भूमि से भवानीपुरा सीमा पास होकर प्रार्थी अपनी भूमि पर आने जाने के उपयोग में ले रहा है। अतः नक्शा ट्रेसमें लाल स्याही से डोट डोट दर्ज कर 15 फिट रास्ता अंकित कर रास्ते का कुल रकबा 15x726= 10890 वर्गफीट (13.00 बीस्वा) आता है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की खाते की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता अमल प्रस्तावित रकबा खसरा संख्या 1332 में से 13.00 बीस्वा रकबा बनता है जिसका मय नजरी नक्शा की नकल रकबा बरारी सहित मौका रिपोर्ट व जमाबंदी नकल संलग्न कर अग्रिम कायर्वाही हेतु सेवा में पेश है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा पहुंच का अन्य रास्ता नही है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 4195/1332 रकबा 10 बीघा, 4196/1332 रकबा 7 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा वाके ग्राम दुर्गापुरा (गोठडा) पटवार मंडल दुर्गापुरा में आने जाने हेतु ग्राम गोठडा से दबलाना जाने वाली सडक से भवानीपुरा की सीमा पर से खसरा सख्या 1132 में से भूमि खसरा सख्या 4196/1332 तक 15 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व

र्ड में रास्ता दर्ज कर तरमीम की जावें ताकि प्रार्थी अपनी भूमियों में सुगमता से आ जा सकें।

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद मनन प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 4195/1332 रकबा 10 बीघा, 4196/1332 रकबा 7 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा वाके ग्राम दुर्गापुरा (गोठडा) पटवार मंडल दुर्गापुरा में आने जाने हेतु ग्राम गोठडा से दबलाना जाने वाले रास्ते में ग्राम भवानीपुरा की सीमा पर से खसरा संख्या 1332 रकबा 31.01 राजकीय सिवायचक में से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से डोट डोट दर्ज कर 15 फिट रास्ता अंकित कर रास्ते का कुल रकबा 15x726= 10890 वर्गफीट (13.00 बीस्वा) घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में गैर0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। प्रस्तावित रास्ते की प्रतिकर राशि खसरा संख्या 1332 की डी0एल0सी0 दर 1,29,276/– रूपये प्रति बीघा में से 13 बिस्वा (6464x13x2) की दुगनी राशि 1,68,064/–रूपये कुल राशि 1,68,064/–रूपये नियमानुसार जमा करवाने के उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली